उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19, सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति
(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन भर्ती चयन वर्ष-2008 से 2018 (दिनांक 01-07-2008 से 30-06-2019) तक के कुल 272 रिक्त पदों का चयन परिणाम

संख्या : पीआरपीबी-चार-12(13)/2018 **दिनांक मार्च 13, 2020**

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में दिये गये प्रावधानानुसार मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष-2008 से 2018 (दिनांक 01-07-2008 से 30-06-2019) तक की कुल 272 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में पात्र 2163 अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा दिनांक 15-09-2019 को सम्पन्न हुई थी। लिखित परीक्षा में संगत सेवानियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" दिनांक 06-11-2019 से 23-11-2019 तक पी0टी0सी0 सीतापुर में सम्पन्न करायी गयी। संगत सेवानियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अर्ह 916 अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन किया गया।

2- "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अर्ह 916 अभ्यर्थियों को सेवाभिलेखों के वर्षवार मूल्यांकन में प्राप्त अंको एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के रिक्त 272 पदों पर वर्षवार रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठताक्रम में तैयार की गयी चयन सूची पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदनोपरान्त चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थीगण बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर जाकर दिये गये लिंक पर अनुक्रमांक व जन्म तिथि डालकर वर्षवार रिक्तियों के सापेक्ष अपने अंक व परिणाम देख सकते है। यह चयन परिणाम स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नं0-31044/2018 राजेश कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य (डायरी संख्या(एस): 40878/2018 राजेश कुमार सिंह व अन्य) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3- यद्यपि उक्त सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनींकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा/अनुमन्य होगा। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए है। अत: जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

13.03.2020
अपर सचिव-प्रोन्नति,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।